उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 249वीं बैठक
दिनांक 10 फरवरी, 2020 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 249वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री दीपक कुमार	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2–	श्री अश्वनी त्रिपाठी	मा0 उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्री राम लखन पटेल	मा0 उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4–	श्री अजय चौहान	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5–	श्री विशाल भारद्वाज	अपर आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सचिव
6–	श्री धर्मेन्द वर्मा	वित्त नियंत्रक, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
7–	श्री ए0के0शुक्ला	मुख्य अभियंता, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
8–	श्री विनीत सिंघल	मुख्य वास्तुविद नियोजक, आ0वि0 परिषद	सदस्य
9–	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
10–	श्री धर्मेन्द्र वर्मा	वित्त नियंत्रक, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त,उ0प्र0शासन	सदस्य
11–	श्री जावेद असलम	मु.वि.लेखा.,प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव सचिव सार्व.उ0वि0	सदस्य
12–	श्रीमती कल्याण बनर्जी	उपसचिव प्रतिनिधि,नगर विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
13–	श्री पी0सी0 पाण्डेय	प्रतिनिधि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	विशेष आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
249/1	परिषद की 248वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 248वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि गई।
249/2	परिषद की 248वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 248वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 की अनुपालन आख्या का मदवार अवलोकन किया गया।

अनुशासनिक अनुभाग

249/3	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री सी0पी0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड–2, गाजियाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वृत्त लखनऊ के विरूद्ध गठित वित्तीय क्षति की वसूली हेतु उन्हें निर्गत की गई कारण बताओ नोटिस एवं तद्क्रम में कृत कार्यवाही के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि अग्रिम 01 वर्ष में वित्तीय क्षति की वसूली हेतु विशेष प्रयास कर लिए जाये जिसमें श्री सी0पी0सिंह द्वारा भी प्रयास करके वसूली सुनिश्चित कराई जाये।
249/4	शासनादेश संख्या–36/1/78–का–2/2013 दिनांक 01.02.2013 के क्रम में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में प्रदान की गयी श्रेणी को उच्चीकृत किये जाने हेतु परिषद कार्मिकों द्वारा दिए जाने वाले प्रत्यावेदन का गहन परीक्षण कर परिषद के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करने हेतु मा0 परिषद द्वारा गठित की गयी समिति के संशोधन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर विचार किया गया कि पूर्व में गठित समिति में वाह्य सदस्यों के स्थान पर प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नामित विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं लखनऊ प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता के अन्यून स्तर के अधिकारी को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

249/5	वृन्दावन योजना संख्या-1, 2, 3 व 4, लखनऊ के हितबद्ध काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत का भूखण्ड आवंटन एवं वर्ष-2002 से पूर्व बने अवैध निर्माणों के समायोजन/आवंटन के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से 60 वर्गमीटर तक भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। यदि किसी काश्तकार की देयता 60 वर्गमीटर से कम बनती है तो उसकी देयता के अनुसार भूमि को वर्ष 2013-14 की भूमि दर पर आसुधार शुल्क लेकर तथा शेष भूमि वित्तीय वर्ष 2013-14 की भूमि दर पर मूल्य लेकर 60 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया जायेगा। यदि किसी काश्तकार की 60 वर्गमीटर भूमि से अधिक की देयता बनती है तो उक्त मानक के अनुसार उन्हें अधिकतम 60 वर्गमीटर का भूखण्ड दिया जायेगा, जिस पर वर्ष 2013-14 की दर पर आसुधार शुल्क लिया जायेगा। देयता से अतिरिक्त भूमि का 2013-14 की भूमि दर का मूल्य दिया जायेगा। यदि कोई काश्तकार भूखण्ड नही लेना चाहता है तो उसकी देयता के अनुसार वर्ष 2013-14 की भूमि दर का मूल्य दिया जायेगा।
249/6	परिषद की वृन्दावन योजना सं0-4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-हैवतमऊ मवइया के खसरा सं0-2668क की भूमि के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से आवासीय प्रयोग हेतु भूमि का समायोजन वर्तमान आवासीय दर का आसुधार एवं विकास शुल्क लेते हुए योजना में अन्यत्र स्थान पर किये जाने का निर्णय लिया गया। यदि आवेदक समायोजित भूमि का नियमानुसार उप विभाजन कराना चाहें तो परिषद नियमानुसार उप विभाजन हेतु निर्धारित शुल्क भी देय होगा।
249/7	वृन्दावन योजना संख्या-1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-खरिका की भूमि खसरा संख्या-413 में से श्रीमती आइसा बेगम द्वारा क्रय की गयी 1000.00 वर्गफुट भूमि पर बने वर्ष-2002 से पूर्व का निर्माण जो 89.664 एकड़ अतिक्रमण से प्रभावित समायोजित की गयी भूमि में सम्मिलित है, को अन्यत्र समायोजन करने के संबंध मे।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव वर्तमान दर का विकास शुल्क लेते हुए समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।
249/8	परिषद की ट्रान्स यमुना योजना, द्वितीय चरण आगरा में समाविष्ट ग्राम नरायच स्थित खसरा संख्या-2716 पर निर्मित अनाधिकृत पक्के निर्माणों की 380.46 व0मी0 भूमि को वर्तमान दर पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
249/9	परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा संख्या-1665/9 मे मै0 डी-मैक्स डेवलपर्स, प्रा0लि0 द्वारा क्रय की गयी 1.77 हे0 भूमि के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव में उल्लिखित भूमि के अधिग्रहण का औचित्य न पाते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना की प्रचलित वर्तमान दर पर आसुधार एवं विकास शुल्क लेकर समायोजित किया जाए, परन्तु समायोजित किये जाने के पूर्व आवास आयुक्त एक समिति गठित कर जिलाधिकारी की रिपोर्ट तथा मौके पर जमीन का परीक्षण करेंगे तथा परीक्षणोंपरान्त अंतिम निर्णय लेंगे।

249/10	मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0–4 कानपुर की भूमि दर निर्धारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त योजना हेतु पहुंच मार्ग तथा जल निकासी एवं योजना की व्यवहार्यता (Viabilty) का परीक्षण कराकर प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
249/11	परिषद की लोनी रोड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अजन्तापुरम) गाजियाबाद में समाविष्ट समितियों की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में मा0 निदेशक मण्डल द्वारा अजन्तापुरम योजना से संबंधित प्रस्तुतिकरण के अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि प्रस्ताव में उल्लिखित 4 समितियों की भूमि के समायोजन के बगैर योजना का समुचित विकास एवं व्यवहार्यता संभव नहीं है तद्स्थिति को दृष्टिगत रखते सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
249/12	वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–1, लखनऊ में रायबरेली रोड़ के ग्राम–उतरठिया की आबादी से लगी हुयी अनियोजित भूमि को समायोजित किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में वर्तमान दर का आसुधार शुल्क लेते हुए समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।
249/13	बलरामपुर बहराईच मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बलरामपुर के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत योजना को लैण्ड–पूलिंग नीति के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
249/14	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की पाण्डेयपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी में समाविष्ट श्री राजकुमार पटेल व अन्य के खसरों से सम्बन्धित भूमि के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
249/15	परिषद की हल्द्वानी योजना संख्या–03 में स्थित खसरा संख्या–45अ, 25अ तथा 25स की भूमि के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में अध्यासी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भूखण्ड वर्तमान व्यवसायिक दर पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
249/16	परिषद की दमदमा कोठी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (जिगर विहार), मुरादाबाद में स्थित खसरा संख्या–368 की 3.54एकड़ व्यपगत भूमि के विकास शुल्क/असुधार शुल्क के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान दर का आसुधार शुल्क लेकर परिषद नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
249/17	वृन्दावन योजना सं0–4 लखनऊ में स्थिति ग्राम–कल्ली पश्चिम में सिंचाई विभाग की भूमि को लिये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण कर पुनः आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
249/18	शाहपुर योजना संख्या–1, गोरखपुर के खसरा संख्या–71/2/2 में समाविष्ट भूमि 485.96 वर्ग मी0 भूमि को वर्तमान दर का आसुधार शुल्क लेकर समायोजित करने एवं 144.63 वर्ग मी0 भूमि वर्तमान आवासीय दर पर तथा 45.30 वर्गमीटर भूमि वर्तमान व्यवसायिक दर पर आवंटित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

249/19	अरतौनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–5, आगरा को परित्याग किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण का पुनर्परीक्षण कर परिषद की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
249/20	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ में स्थित हैवतमऊ मवइया के खसरा संख्या–2613 की भूमि के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आवासीय प्रयोग हेतु अनुमोदित किया गया। यदि आवेदक समायोजित भूमि का नियमानुसार उप विभाजन कराना चाहें तो परिषद नियमानुसार उप विभाजन हेतु निर्धारित शुल्क भी देय होगा।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

249/21	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के फैजाबाद राजमार्ग के महायोजना में प्रश्नगत सड़क(निशातगंज पुल से लेकर फैजाबाद मार्ग पोलीटेक्निक चौराहे तक) को 76.00 मी0 फैजाबाद मार्ग के स्थान पर 30.00 मी0 अंकित करते हुये सड़क का श्रेणी शहरी मार्ग के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण का पुनर्परीक्षण कर परिषद की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
249/22	इन्दिरानगर योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम इस्माईलगंज के खसरा सं0–101 व 102 के भू–उपयोग परिवर्तन की धनराशि के भुगतान के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण का पुनर्परीक्षण कर परिषद की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
249/23	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7 में प्रस्तावित कम्युनिटि फैसिलिटि/मेला ग्राउण्ड की भूमि में बी0ओ0टी0 मॉडल पर एक स्पोर्टस काम्पलैक्स के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में।	प्रश्नगत प्रस्ताव वापस लिया गया।

सम्पत्ति अनुभाग

249/24	परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ स्थिति आवासीय भूखण्ड संख्या–12ए/412 के विक्रय विलेख में Not for sale लिखे होने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
249/25	यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0 को योजना संख्या–01, इटावा में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–246 के सम्बन्ध में।	प्रकरण शासकीय संस्था से संबंधित होने के दृष्टिगत सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि जमा धनराशि से निबन्धन व्यय काटकर अवशेष धनराशि वापस की जायेगी।
249/26	परिषद विकास नगर योजना, लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–2/सी0–17 पर आरोपित ब्याज दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त M.C.L.R+1 के आधार पर ब्याज की गणना किये जाने का निर्णय लिया गया।
249/27	परिषद की सूत मिल इटावा स्थित इन्टेलीजेंस ब्यूरो (भारत सरकार का उपक्रम) को आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या आई0एन0एस0–2 के विरूद्व देय दण्ड ब्याज माफी के सम्बन्ध में प्रस्ताव माननीय परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

249/28	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित वसुन्धरा योजना के सेक्टर-7 में कम्युनिटी फैसिल्टी सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल की 248वीं बैठक के मद संख्या–14 पर पारित निर्णय के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
249/29	परिषद की वृन्दावन, अवध विहार एवं आम्रपाली योजना, लखनऊ के एन्क्लेवों में निर्मित फ्लैटों के मूल्य में 5% से 10% छूट दिये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
249/30	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–29635/2017 श्रीमती निशा बंसल व उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 के अनुपालन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव मा0 न्यायालय के आदेशों के क्रम में अनुमोदित किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

249/31	मझोला योजना संख्या–4, भाग–2, मुरादाबाद के सेक्टर–9ए, मुरादाबाद में महानगर के सीवरेज जोन–3 हेतु प्रस्तावित 40.00 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के निर्माण के लिए उ0प्र0 जल निगम को भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
249/32	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के मद "लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्यो के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
249/33	आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ के सेक्टर–एच 6 में निर्माणाधीन आम्रपाली इन्क्लेव परियोजना के स्टिल्ट स्तर पर रोके गये 5 ब्लाक (600 नग भवनों) के निर्माण कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त अवशेष दो टावरों को जहॉ हैं जैसे हैं के आधार पर निजी सहभागिता से निर्माण तथा योजना के अन्तर्गत फ्लैटों की कीमत में कमी कर उनकी विक्रयशीलता को बढ़ाये जाने के संबंध में परीक्षण कर एक माह में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये।

प्रशासन अनुभाग

249/34	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में प्रतिनियुक्ति पर तहसीलदारों की तैनाती के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

वित्त एवं लेखा अनुभाग

249/35	परिषद की 248वीं बैठक दिनांक 09.10.2019 में लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय पेंशनरी बेनीफिट्स सम्बन्धी शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप परिषद पर पड़ने वाले वित्तीय व्ययभार के आकलन हेतु आवास आयुक्त द्वारा अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें वित्त नियंत्रक व मुख्य अभियन्ता सदस्य होगें। उक्त समिति की आख्या के अनुसार निर्णय लिये जाने हेतु मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

249 / 36	वित्तीय वर्ष 2018–19 की बैलेन्सशीट / वार्षिक लेखों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
249 / 37	श्री सतीश कुमार शुक्ल (सेवानिवृत्त लेखाधिकारी) को वित्तीय परामर्शी के रूप में योजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से वित्तीय प्रबन्धन में योग्य व्यक्ति को वित्तीय परामर्शी के रुप में नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
249 / 38	वर्ष 2018–19 की अनुग्रह धनराशि (एक्सग्रेसिया) के भुगतान के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

प्रशासन अनुभाग

249 / 39	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा सवंर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली–2014 के प्रस्तर–4 में शासनादेश संख्या वे0 आ0–2–1853 / दस–54(एम)–2008 टी0सी0 दिनांक 10.10.2011 के अनुसार पदों की संख्या पुन : अवधारित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

समन्वय अनुभाग

249 / 40	स्टाफ भवन को निजीतौर / नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
249 / 41	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
249 / 42	मा0 उपाध्यक्षगण को वाहन परिषद में मासिक किराये पर ट्रैवेल्स एजेन्सी के माध्यम से वाहन लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए दिनांक 01.01.2020 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।
249 / 43	परिषद सेवकों व उनके आश्रितों को अत्यंत गम्भीर प्रकृति की बीमारियों व उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तथा चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
249 / 44	स्व0 अमरजीत दास, लेखाकार की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरणों को शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

249 / 45	आवास विकास कालोनी छिबरामऊ जनपद–कन्नौज का नाम अटल नगर किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
249 / 46	परिषद की योजनाओं में संचालित सामुदायिक केन्द्रों सेन्टर को प्राइवेट संस्थाओं को लीज पर वार्षिक किराया लेते हुए न्यूनतम तीन वर्ष के लिए दिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

249 / 47	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के विभिन्न सेक्टरों में विस्थापित कोटे के काश्तकारों हेतु पूर्व में स्वीकृत विन्यास में 17 व0मी0 के दुकानों के भूखण्डों को 25 से 50 व0मी0 के व्यवसायिक भूखण्डों में पुनः नियोजित करने	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

	सम्बंधी नीतिगत प्रस्ताव परिषद बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत करने के सम्बंध में।	

वित्त एवं लेखा अनुभाग

249/48	श्री अविनाश चन्द्र आशुलिपिक को स्वीकृत भवन अग्रिम रु0 200000.00 के विरूद्ध देय प्रतिदान की किश्तों की अदायगी में व्यवधान के कारण 2.5% की छूट अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
249/49	श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, सहायक लेखाधिकारी (से0नि0) को उनके सेवाकाल में स्वीकृत भवन अग्रिम रु0 44000.00 के विरूद्ध देय प्रतिदान की किश्तों की अदायगी में व्यवधान के कारण ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
249/50	परिषद कार्मिकों को पेंशनरी बेनीफिट्स अवमुक्त किये जाने हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों/तकनीकी विशेषज्ञों की सेवायें संहत वेतनमान पर लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आगामी छः माह हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों/तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा संबंधी संहत वेतनमान पर लिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। उसके उपरान्त सेवा अवधि में वृद्धि हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

249/51	अवध विहार योजना लखनऊ के सेवई रेलवे समपार पर निर्माणाधीन आर0ओ0बी0 एवं लखनऊ–सुल्तानपुर रेलवे लाईन के समानान्तर 18.00 मी0 चौड़ी पेरीफेरियल रोड पर आ रहे नियोजन समिति द्वारा अर्जनमुक्त निर्माणों को योजना में अन्यत्र समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
249/52	मकान गृह संख्या–84, 85, 86,खसरा संख्या–5851 के क्षेत्रफल 1800.00 वर्गमी0 भूमि कस्बा मेरठ में स्थित क्षेत्रफल का विकास शुल्क लेकर समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि आवास आयुक्त एक समिति गठित करके लिए जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में निर्णय करेंगे।
249/53	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की डायमण्ड डेयरी योजना में लगभग 12000 वर्ग फीट रिक्त भूमि के निस्तारण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
249/54	प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी भवन 60 वर्ग मी0 से कम) के अन्तर्गत प्लाट नं0–8/बीएस–1 सेक्टर–8 गौड़ सिद्धार्थम, सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में निर्माण कार्य को आवास विकास परिषद द्वारा रोके जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

249/55	परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर–7 में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–35 एवं 36 से वर्तमान दर परिवर्तन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

249 / 56	सिकन्दरा योजना आगरा में सेक्टर-8 में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–27 से लगी 120 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव में मा0 प्रवर न्यायालय में अपील दायर किये जाने के निर्देष दिये गये।
249 / 57	परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–9 / सी0पी0–201 के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यदि आवंटी उनके द्वारा जमा धनराशि वापस लेना चाहते हैं तो M.C.L.R+1 की दर पर ब्याज सहित धनराशि वापस कर दी जाये अथवा वह वाद के निर्णय के उपरान्त अवशेष धनराशि M.C.L. R+1 की दर पर ब्याज के साथ धनराशि जमा करायेंगे।

अनुशासनिक अनुभाग

249 / 58	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री कँवल नयन कालरा, तत्कालीन अवर अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त अवर अभियंता एवं श्री डी0 सी0 विष्ट, तत्कालीन अवर अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

मूल्यांकन अनुभाग

249 / 59	आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में सामान्य विकसित भूमि दरों को दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक तथा बहुमंजिलें (चार मंजिला से अधिक) भवनों हेतु दिनांक 31.03.2020 के बाद निर्माण लागत के पुनर्मूल्यांकन को दिनांक 31.03.2021 तक स्थिर रखे जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि अगर किसी विशिष्ट परियोजना यथा मेट्रो, आर0आर0टी0एस0 आदि के लिए धन को अन्य परियोजना पर योजित करना पड़ा तो उस सीमा तक कुछ सम्पत्तियों की दर का पुर्ननिर्धारण किया जायेगा और जिन सम्पत्तियों की दर का पुर्ननिर्धारण किया जायेगा उन सम्पत्तियों का विनिश्चय करने हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियन्ता, मुख्य वास्तुविद नियोजक एवं अधीक्षण अभियन्ता (प्रे0) सदस्य होंगे।

भूमि अर्जन अनुभाग

249 / 60	उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विवादित भूमि के निस्तारण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
249 / 61	कानपुर भूमि विकास गृहस्थान योजना संख्या–3 अम्बेडकरपुरम में समाविष्ट अराजी संख्या–273 के जुज भाग रकबा 279.12 वर्गमी0 के बिटरमेन्ट एवं नवसृजित भूखण्ड संख्या–ई–54 / 1 की अवशेष 33.28 वर्गमी0 को वर्तमान दर पर आवंटन किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में वर्तमान दर पर आसुधार शुल्क व विकास शुल्क लेते हुए दीवानी न्यायालय में योजित वाद के अंतिम निस्तारण के अधीन समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

249 / 62	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद की सीमा पर कूड़ाघर स्थित होने एवं विकास कार्य पूर्ण होने में हुई देरी के फलस्वरूप अधूरी योजनाओं को पूर्ण कराने एवं आवंटनों से परिषद की अदेयता वसुली के दृष्टिगत प्रोजेक्ट सेटलमेन्ट पालिसी के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–3804(1)/77–4–19 दिनांक 05.12.2019 को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा उक्त शासनादेश के कम में पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
249 / 63	परिषद की आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–ई–1/जीएच–1 के विरूद्ध रोपित ब्याज/दण्ड ब्याज के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–3804(1)/77–4–19 दिनांक 05.12.2019 को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा उक्त शासनादेश के कम में पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

249 / 64	अवध विहार योजना में अवध शिल्प ग्राम के निकट 5000 क्षमता के सांस्कृतिक संकुल निर्मित करने हेतु वास्तुविदीय कान्सेप्ट मानचित्र, कान्सेप्ट परिकल्पना एवं डी0पी0आर0 (ऑगणन) तैयार करने एवं सांस्कृतिक संकुल के निर्माण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को अधिकृत करते हुए अग्रिम कार्यवाही की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल

249 / 65	परिषद द्वारा कराये जा रहे डिपॉजिट कार्य के अन्तर्गत महामाया पालीटेक्निक ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी हरिहरपुर गोरखपुर के अवशेष कार्य पूर्ण किये जाने हेतु परिषद फण्ड से धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि लागत में वृद्धि हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण कर उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
249 / 66	परिषद की वृन्दावन व आम्रपाली योजना के अविकसित घोषित होने के कारण आंवटित एफ0ए0आर0 से अधिक अनुमन्य एफ0ए0आर0 को क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के रूप में प्रदान किये जाने वाली गणना में बेसिक एफ0ए0आर0 का पुनर्निर्धारण शासनादेश संख्या–5136 के अनुसार अनुमन्य किये जाने के संबंधा में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया प्रश्नगत प्रस्ताव का पुर्नपरीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
249 / 67	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय	

अनुमोदित

(दीपक कुमार)
अध्यक्ष